107

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं0सं0—02/परी0—01(राज0)—10/2020—416

पटना, दिनांकः— 11-04-2023

कार्यालय आदेश

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा हेतु निर्गत दिशा निर्देश (F.No. 34-02/2015-DD-III दिनांक—29.08.2018 की कंडिका—v एवं vi के अनुसार दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक Scribe रखे जाने का प्रावधान है।

2. राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित ऑनलाईन विभागीय परीक्षा में परीक्षार्थी को अपने अतिरिक्त एक Scribe जो परीक्षार्थी से एक स्तर कम योग्यता रखते हों, के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/स्वीकृति माननीय अध्यक्ष—सह—सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार के अनुमोदन से प्रदान किया जाता रहा है।

3. Scribe रखे जाने हेतु परीक्षार्थी का आवेदन पत्र उनके नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से पर्षद कार्यालय को उपलब्ध कराया जाता था।

4. दिनांक—28.02.2023 को माननीय अध्यक्ष—सह—सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न केन्द्रीय परीक्षा समिति की बैठक में राजस्व पर्षद में संचालित ऑनलाईन विभागीय परीक्षा केन्द्र को बिपार्ड में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। दिनांक—15.03.2023 से ऑनलाईन विभागीय परीक्षा बिपार्ड के दोनों परीक्षा केन्द्रों यथा पटना एवं गया में आयोजित की जा रही है। उक्त आलोक में दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा में Scribe रखे जाने की अनुमति/स्वीकृति हेतु **महानिदेशक, बिपार्ड, पटना** को प्राधिकृत किया जाता है।

5. आदेश के प्रस्ताव में माननीय अध्यक्ष—सह—सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के आदेशानुसार

11.04.23

विशेष कार्य पदाधिकारी,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

11/04/23